MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): Madam, I move the following Motion:—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha to the Committee of both the House on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled' Tribes in the vacancy caused by the retirement of Shri Dipen Ghosh from the membership of the Rajya Sabha on the 9th July, 1993 and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, one member from among the members of House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

RE. BOYCOTT OF QUESTION HOUR BY JOURNALISTS

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): मैडम, मैंने कयश्चन आवर के दौरान एक सवाल उठाया था कि प्रेस गैलरी खाली क्यों है, उसका कोई जवाब हम लोगों को अब तक नहीं मिला है?

†[नेता विरोधी दल (श्री सिकन्दर बख्त): मैडम मैंने क्वेश्चन आवर के दौरान एक सवाल उठाया था कि प्रेस गैलरी खाली क्यों है - इसका कोई जवाब हम को अब तक नहीं मिला है-]†

श्री एन.ए. अहलूवालिया (बिहार): मैडम, ये प्रैस गैलरी खाली क्यों है, यह जानना चाहता है सदन? . . . (व्यवधान)... प्रेस वाले लोकसभा और राज्यसभा का बायकाट क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या ग्रीवेंसेस हैं उनके? पूरे कयुश्चन आवर में ये गैलरी खाली थी।

†["] Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति: Just a minute. Many people have ask- ed for it. (*Interruptions*).

जरा संक्षेप में बोल दीजिए। आपको, जयपाल रेड्डी जी और उनको बोलना है, इसलिए जरा संक्षेप में बोल दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदया, प्रातः संवाददाताओं की गैलरी पूरी खाली थी और जांच करने पर यह पता चला है कि संवाददाता जब इस पार्लियामेंट के सदन में आते हैं राज्यसभा की कार्यवाही कवर करने तो उनको सेक्युरिटी स्टाफ वाले भिन्न-भिन्न प्रकार की तकलीफ व कष्ट देते हैं। जब संवाददाता किसी सांसद सदस्य से मिलते हैं तो उनसे यह पूछा जाता है कि आप यहां क्यों मिल रहे हैं? किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर अगर वे किसी से मिलकर जानकारी लेने का प्रयास करते हैं तो उनको यह पूछा जाता है कि आप इस पार्टी के दफ्तर में क्यों गए? उनको यह कहा जाता है कि आप को केवल राज्यसभा की गैलरी का पास है, आप पार्लियामेंट हाउस में आते ही सीधे राज्यसभा गैलरी में जाइए और राज्यसभा की गैलरी से सीधे अपने घर जाइए। आप बीच में किसी से बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में इतनी आपत्तिजनक घटना कभी हो नहीं सकती। यह इमरजेंसी जैसी स्थिति है कि संवाददाताओं को किसी भी संसद सदस्य से बात करने पर पाबंदी हो, किसी कार्यालय में जाने पर पाबंदी हो। यह बहुत आपत्तिजनक है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस किसी ने भी इस प्रकार के आदेश दिए हैं, उस आदेश की जांच हो और यह आदेश तुरंत वापिस लिए जाएं। महोदया, मैं मानता हूं कि सेंट्रल हाल में तो विशिष्ट संवाददाता जा सकते हैं, लेकिन उसके बाहर संवाददाताओं को खुले रूप में राजनीतिक दलों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और संसद सदस्यों से मिलकर, बात कर के जानकारी लेने की अनुमति होनी चाहिए।